छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

पंचम विधान सभा | द्वितीय सत्र | अंक-02

रायपुर, सोमवार, दिनांक 15 जुलाई, 2019

(आषाढ़ 24, शक संवत् 1941)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 03, 05 से 13 (कुल 12) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

तारांकित प्रश्न संख्या 04 के प्रश्नकर्ता सदस्य श्री चिन्तामणी महाराज अनुपस्थित रहे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 48 तारांकित एवं 78 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 02 पर चर्चा के दौरान माननीय मंत्री वाणिज्य एवं उद्योग की अनुपस्थिति के कारण श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन किया गया।

3. कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि कार्यमंत्रणा समिति की बैठक शुक्रवार, दिनांक 12 जुलाई, 2019 में लिए गए निर्णय अनुसार निम्नलिखित वित्तीय एवं विधायी कार्य पर चर्चा के लिए उनके सम्मुख अंकित समय निर्धारित करने की सिफारिश की गई है :-

वित्तीय कार्य		समय
(i)	वर्ष 2019-2020 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर चर्चा, मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन, विचार एवं पारण.	3.00 घंटे

शासकीय विधि विषयक कार्य

(i)	पंडित सुंदर लाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ (संशोधन) विधेयक, 2019	-	15 मिनट
(ii)	छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019	-	15 मिनट
(iii)	इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019	-	15 मिनट
(iv)	छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) (संशोधन) विधेयक, 2019	-	30 मिनट

समिति ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती समारोह के अवसर पर बुधवार, दिनांक 02 अक्टूबर, 2019 को सदन की बैठक रखे जाने हेतु सिफारिश की है ।

श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सदन कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को स्वीकृति देता है ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, आदिम जाति विकास मंत्री ने वक्फ अधिनियम, 1995 (क्रमांक 43 सन् 1995) की धारा 98 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2018-2019,

(2) श्री मोहम्मद अकबर, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 85 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार-

(i) अधिसूचना क्रमांक एफ 7-26/2008/32, दिनांक 29 मई, 2019 तथा

(ii) अधिसूचना क्रमांक एफ 7-28/2010/32, दिनांक 29 मई, 2019

पटल पर रखे ।

5. जनवरी-मार्च, 2019 सत्र के समय पूर्व सत्रावसान के कारण बैठक हेतु पूर्व निर्धारित तिथि की मुद्रित प्रश्नोत्तरी का पटल पर रखा जाना

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 13-क की अपेक्षानुसार जनवरी-मार्च, 2019 सत्र का दिनांक 01 मार्च, 2019 को समयपूर्व सत्रावसान हो जाने के कारण बैठक हेतु पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक 05, 06, 07 एवं 08 मार्च, 2019 की मुद्रित प्रश्नोत्तरी सचिव, विधान सभा द्वारा पटल पर रखी गयी।

6. जनवरी-मार्च, 2019 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों के संकलन का पटल पर रखा जाना

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 13-ख की अपेक्षानुसार जनवरी-मार्च, 2019 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन सचिव, विधान सभा द्वारा पटल पर रखा गया।

7. नियम 267-क के अधीन जनवरी-मार्च, 2019 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार नियम 267-क के अधीन जनवरी-मार्च, 2019 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन सचिव, विधानसभा द्वारा पटल पर रखा गया।

8. माननीय राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार सचिव, विधान सभा द्वारा पंचम विधान सभा के जनवरी-मार्च, 2019 सत्र में पारित 10 विधेयकों में से शेष बचे 9 विधेयकों में से 08 विधेयकों पर माननीय राज्यपाल महोदया की अनुमति प्राप्त विधेयकों, का विवरण सदन के पटल पर रखा गया।

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि अनुमति प्राप्त विधेयकों के नाम दर्शाने वाला विवरण पत्रक भाग-दो के माध्यम से माननीय सदस्यों को पृथक से वितरित किया जा रहा है।

9.सभापति तालिका की घोषणा

अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए नाम-निर्दिष्ट किया गया :-

01. श्री सत्यनारायण शर्मा
02. श्री धनेन्द्र साहू
03. श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह
04. श्री मनोज सिंह मण्डावी
05. श्री शिवरतन शर्मा

10. पृच्छा

श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य ने शासकीय स्कूलों में बच्चों को अंडा वितरित किये जाने संबंधी उल्लेख किया ।

(निरंतर व्यवधान होने से सदन की कार्यवाही 12.15 बजे स्थगित की जाकर 12.22 बजे समवेत हुई।)

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य तथा प्रतिपक्ष के अन्य सदस्यों ने उनके द्वारा दिये गये "केन्द्र में पूर्ण बहुमत की सरकार आने पर यह सदन प्रधानमंत्री जी को बधाई देता है", संबंधी प्रस्ताव पर चर्चा कराये जाने की मांग की ।

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि प्रस्ताव को कक्ष में अग्राह्य कर दिया गया है ।

11. स्थगन प्रस्ताव

माननीय अध्यक्ष द्वारा प्रदेश में नक्सली घटनाओं में वृद्धि संबंधी 13 सदस्यों से प्राप्त स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं में से सर्वप्रथम प्राप्त श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य की सूचना पढ़ी गई ।

श्री ताम्रध्वज साहू, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया तथा स्थगन प्रस्ताव ग्राह्य कर चर्चा हेतु सहमति व्यक्त की ।

माननीय अध्यक्ष ने कथन किया कि स्थगन प्रस्ताव ग्राह्य किया जाता है। अब स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा होगी।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री मोहन मरकाम,

(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए।)

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

श्री शिवरतन शर्मा (जारी)

(1.30 बजे से 3.00 बजे तक अंतराल।)

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

12. स्थगन प्रस्ताव (क्रमश:)

सर्वश्री शिवरतन शर्मा, सत्यनारायण शर्मा, धर्मजीत सिंह,

(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री केशव प्रसाद चन्द्रा, अजय चन्द्राकर, बृहस्पत सिंह,

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

श्री नारायण चंदेल, श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा, डॉ.रमन सिंह, श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष,

श्री ताम्रध्वज साहू, गृह मंत्री ने चर्चा का उत्तर देना प्रारंभ किया ।

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से कार्य सूची में सम्मिलित कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की ।)

माननीय अध्यक्ष के निर्देश पर श्री शिवरतन शर्मा द्वारा श्री भीमा मण्डावी के निवास पर चस्पा कागज की प्रति पटल पर रखी गई ।

श्री ताम्रध्वज साहू, गृह मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

13. बहिष्कार

श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में सदन का बहिष्कार किया गया।

14. विधान सभा की सदस्यता से त्याग-पत्र की सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि निर्वाचन क्षेत्र -87, चित्रकोट (अ.ज.जा.) से छत्तीसगढ़ की पंचम विधान सभा के लिये निर्वाचित सदस्य श्री दीपक बैज द्वारा दिनांक 04 जून, 2019 को दिया गया त्याग-पत्र भारत के संविधान के अनुच्छेद 190 के खण्ड (3) के उपखण्ड (ख) की अपेक्षानुसार तथा छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमावली के नियम 276 (1-क) के तहत् दिनांक 04 जून, 2019 को मेरे द्वारा स्वीकृत किये जाने के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ विधान सभा का उक्त स्थान उसी दिनांक से रिक्त हो गया है ।

15. समितियों का निर्वाचन

1. सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के लिये वर्ष 2019-2020 की शेष अवधि हेतु 01 सदस्य का निर्वाचन

श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि- सभा के सदस्यगण, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 177 के उप नियम (3) की अपेक्षानुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 की शेष अवधि के लिये सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

में रिक्त हुए एक स्थान की पूर्ति के लिये अपने में से एक सदस्य के निर्वाचन के लिये अग्रसर हों ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

2. अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिये वर्ष 2019-2020 की शेष अवधि हेतु 02 सदस्य का निर्वाचन

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, आदिम जाति विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि- सभा के सदस्यगण, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 177 के उप नियम (3) की अपेक्षानुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 की शेष अवधि के लिये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति में रिक्त हुए दो स्थानों की पूर्ति के लिये अपने में से अनुसूचित जनजाति वर्ग के दो सदस्यों के निर्वाचन के लिये अग्रसर हों ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति में वर्ष 2019-2020 की शेष अवधि हेतु क्रमश: एक एवं दो सदस्यों के रिक्त हुए स्थानों की पूर्ति हेतु निर्वाचन का कार्यक्रम इस प्रकार निर्धारित किया जाता है :-

(1) नाम निर्देशन प्रपत्र विधान सभा सचिवालय में मंगलवार, दिनांक 16 जुलाई, 2019 को अपराह्न 3.00 बजे तक दिये जा सकते हैं ।

(2) नाम निर्देशन प्रपत्रों की संवीक्षा मंगलवार, दिनांक 16 जुलाई, 2019 को सायं 5.00 बजे से विधान सभा भवन स्थित समिति कक्ष क्रमांक- दो में होगी ।

(3) उम्मीदवारी से नाम वापस लेने की सूचना बुधवार, दिनांक 17 जुलाई, 2019 को अपराह्न 1.30 बजे तक विधान सभा सचिवालय में दी जा सकती है ।

(4) निर्वाचन, यदि आवश्यक हुआ तो, मतदान गुरूवार, दिनांक 18 जुलाई, 2019 को प्रात: 11.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक विधान सभा भवन स्थित समिति कक्ष क्रमांक-2 में होगा ।

निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाएगा ।

उपर्युक्त, निर्वाचनों में अभ्यर्थियों के नाम प्रस्तावित करने के प्रपत्र एवं नाम वापस लेने की सूचना देने के प्रपत्र विधान सभा सचिवालय से प्राप्त किये जा सकते हैं ।

16. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा माननीय सदस्यों के नाम पुकारे जाने पर अनुपस्थिति के कारण याचिकाएं प्रस्तुत नहीं हुई ।

सायं 6.02 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 16 जुलाई, 2019 (आषाढ़-25, शक संवत् 1941) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

चन्द्र शेखर गंगराड़े
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा